2021
1381

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 654/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :– 23/11/21

सुवालाल ....बनाम तहसीलदार........देवली........

उपस्थिति :–

........प्रार्थी

तहसीलदार........देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

प्रार्थी........ सुवालाल ....निवासी........चांदली........ने प्रशासन गांवो के संघ 2021 कैम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम........चांदली जमाबंदी संवत........ 2074–77 ....के खाता संख्या 695 में दर्ज प्रार्थी का नाम........सुवालाल पुत्र घासीलाल [illegible] के स्थान पर........सुवालाल पुत्र घीसालाल........ दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड [illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का [illegible] गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार........देवली........से कराई गई। तहसीलदार........देवली [illegible] पटवार हल्का ....चांदली........व भू0अ0नि0........चांदली........की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम [illegible] रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। [illegible] प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार........पाकली [illegible] पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया, [illegible] प्रार्थी [illegible] उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू [illegible] (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार [illegible] नियम, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः– 4(1)राज–6 [illegible] 2017/19 के [illegible] देवली........ को वाके ग्राम........चांदली........ जमाबंदी संवत 2074–77 [illegible] 695........में दर्ज........सुवालाल पुत्र घासीलाल........ [illegible] के स्थान पर सुवालाल पुत्र घीसालाल........ ....दुरूस्त [illegible] अभिलेख [illegible] किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार देवली [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल [illegible]

[illegible] खुले सरे इजलास [illegible]........राजकी........में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned by CamScanner